उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-10/2022/123/26-3-2022
लखनऊ दिनांकः 12 जनवरी, 2022

**शुद्धि-पत्र**

उत्तर प्रदेश में विमुक्त जाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने एवं अनुमन्य सुविधाएं प्रदान करने विषयक शासनादेश संख्या-97/2021/1898/26-3-2021, दिनांक 06.08.2021 द्वारा प्रदेश के जनपद मुरादाबाद, मुफ्फरनगर व बिजनौर जनपदों में निवासरत कतिपय विमुक्त जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के निर्देश समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 को दिये गये है।

2- जनपद मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के विभाजन से नवसृजित जनपद क्रमशः सम्भल, शामली व अमरोहा में निवासरत विमुक्त जाति के लोग उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 06.08.2021 द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से वंचित न हो, अतएवं उक्त शासनादेश में जनपद मुरादाबाद के साथ सम्भल, मुजफ्फरनगर के साथ शामली तथा बिजनौर के साथ अमरोहा भी पढ़ा जाए।

3- प्रश्नगत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

4- उक्त शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

पृ0सं0-10/2022/123(1)/26-3-2022-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, आयुक्त व सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2- मण्डलायुक्त, सहारनपुर/मुरादाबाद मण्डल,उ0प्र0।
3- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, सम्भल, बिजनौर, अमरोहा।
4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,उ0प्र0, लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-97/2021/1898/26-3-2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 06 अगस्त, 2021

विषयः उत्तर प्रदेश में विमुक्त जाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने एवं अनुमन्य सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-22सीएम/26-3-2013 दिनांक 10.06.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो शासनादेश संख्या-899(ए)/XXVI-700(5)/1959 दिनांक 12.05.1961, शासनादेश संख्या-148-बी/ XXVI-700(5)/1959 दिनांक 26.03.1962 व शासनादेश संख्या-529/26-3-2000 दिनांक 27.02.2001 के क्रम में निर्गत किया गया है।

2- उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के विमुक्त जातियों (डीनोटिफाईड ट्राइब्स) व घुमन्तू जातियों (नोमेडिक कम्यूनिटीज) के कल्याणार्थ चलायी जा रही योजनाओं का लाभ प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-899(ए)/ XXVI-700(5)/1959 दिनांक 12.05.1961 में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली कतिपय 11 जातियों यथा बंजारा, भर, दलेरे कहार, गंडीला, घोसी (हिन्दू) केवट, मल्लाह, लोध, मेवाती, औधिया व तगाभाट को सूचीबद्ध किया गया है। अनुवर्ती शासनादेश संख्या-148-बी/ XXVI-700(5)/1959 दिनांक 26.03.1962 पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-899(ए)/ XXVI-700(5)/1959 दिनांक 12.05.1961 के क्रम में जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले कतिपय 18 अन्य जातियों यथा मुसहर, नट, पासी, दुसाध, गूजर, कंजर, खटीक, बरवार, बौरिया, भंतू, हबुरा, सांसिया, करवल, अहरिया, बदक, बेरिया, चमार व डोम को भी विमुक्त जातियों की सूची में परिगणित/समायोजित किया गया।

3- यह उल्लेखनीय है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इन्क्वायरी कमेटी 1949-50 की रिपोर्ट (संलग्नक-1) में प्रदेश के 30 विमुक्त जातियों- अहेरिया, बदक, बंजारा, बरवार, बौरिया, बेरिया, बोरिया, भंतू, भर, चमार, दलेरे, डोम, गंडीला, गधिआस, घोसी, गूजर, हबुरा, कंजर, केवट, मल्लाह, खटिक, लोध, मेवाती, मुसहर, नट, औधिया, दुसाध, पासी, संसिया व तगाभाट का उल्लेख किया गया है। कालान्तर में शासनादेश संख्या-899(ए)/ XXVI-700(5)/1959 दिनांक 12.05.1961 (संलग्नक-2) तथा शासनादेश संख्या-148-बी/XXVI-700(5)/1959 दिनांक 26.03.1962 (संलग्नक-3) द्वारा कुल 29 विमुक्त जातियों को मान्यता प्रदान की गयी।

4- सचिव, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-11020/2/2020-डीडब्लूबीडीएनसी, दिनांक 18.08.2020 (संलग्नक-4) में उल्लिखित प्रदेश के 29 विमुक्त जातियों की सूची के परिप्रेक्ष्य में निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली कुल 29 विमुक्त जातियां एवं उनकी वर्गीकृत श्रेणी का विवरण तालिका में निम्नवत् हैः-

| क्र.सं. | जातियों का नाम | जनपद / क्षेत्र | वर्गीकृत श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 1 | बंजारा | आगरा, फर्रूखाबाद, हरदोई, फिरोजाबाद, झांसी, लखनऊ, मैनपुरी, मेरठ, मथुरा, पीलीभीत, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा। | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 2 | भर | आजमगढ़, वाराणसी, फैजाबाद, जौनपुर, गोरखपुर, मऊ (मऊनाथभंजन, घोसी, मोहम्मदाबाद), महराजगंज (महराजगंज, नौतनवा, निचलौल, फरेन्दा)। | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 3 | दलेरे कहार | बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर (दादरी)। | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 4 | गंडीला | मुजफ्फरनगर। | अन्य |
| 5 | घोसी (हिन्दू) | अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद (फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना,) मैनपुरी। | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 6 | केवट | बस्ती, सिद्धार्थनगर (नौगढ़, वॉसी,डुमरियागंज)। | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 7 | मल्लाह | आगरा, अलीगढ़, बलिया, इटावा, बुलन्दशहर, गोरखपुर,मिर्जापुर तथा मथुरा, गाजियाबाद, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, दादरी, सोनभद्र (राबर्टसगंज, दुद्धी), महराजगंज (महराजगंज, नौतनवा, निचलौल,फरेन्दा),फिरोजाबाद (फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना)। | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 8 | लोध | फतेहपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद(शिकोहाबाद, जसराना)। | अन्य पिछड़ा वर्ग |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | मेवाती | बुलन्दशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर (दादरी)। | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 10 | औधिया | कानपुर, फतेहपुर, कानपुर (देहात)। | अन्य |
| 11 | तगाभाट | सहारनपुर। | अन्य |
| 12 | मुसहर | बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी। | अनुसूचित जाति |
| 13 | नट | इलाहाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, झासी, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। | अनुसूचित जाति |
| 14 | पासी | पूरे प्रदेश में। | अनुसूचित जाति |
| 15 | दुसाध | बलिया। | अनुसूचित जाति |
| 16 | गूजर | मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर। | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 17 | कंजर | आगरा,कानपुर, इटावा, फतेहपुर, मैनपुरी, मथुरा, फर्रूखाबाद (फतेहगढ़)। | अनुसूचित जाति |
| 18 | खटीक | बस्ती, गोण्डा। | अनुसूचित जाति |
| 19 | बरवार | गोण्डा, हरदोई, सुल्तानुपर, रायबरेली। | अनुसूचित जाति |
| 20 | बौरिया | कानुपर, फतेहपुर। | अन्य |
| 21 | भंतू | पूरे उत्तर प्रदेश में। | अनुसूचित जाति |
| 22 | हबुरा | पूरे उत्तर प्रदेश में। | अनुसूचित जाति |
| 23 | सांसिया | झांसी, बुलन्दशहर, खीरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। | अनुसूचित जाति |
| 24 | करवल | खीरी, वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती, मुरादाबाद, कानपुर। | अनुसूचित जाति |
| 25 | अहरिया | फर्रुखाबाद, आगरा, बदांयू, मैनपुरी, पीलीभीत, अलीगढ़, बुलन्दशहर, एटा, मथुरा। | अन्य |
| 26 | बदक | बदांयू, खीरी, मथुरा, शाहजहांपुर। | अन्य |
| 27 | बेरिया | आगरा, कानपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, फतेहपुर। | अनुसूचित जाति |
| 28 | चमार | इटावा, गाजीपुर, जौनपुर। | अनुसूचित जाति |
| 29 | डोम | पूरे उत्तर प्रदेश में। | अनुसूचित जाति |

5- वर्णित स्थिति में विषयगत प्रकरण पर पूर्व में निर्गत विभिन्न शासनादेशों का समाहार करते हुए जनसामान्य की सुविधा हेतु अधिक स्पष्टता लाये जाने हेतु प्रस्तर-4 में उल्लिखित स्थिति के अनुसार विमुक्त जातियों की वर्गीकृत सूची निर्गत किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

6- उपरोक्त सूची में उल्लिखित जातियों में से 14 जातियां अनुसूचित जाति, 09 जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 06 जातियां अन्य की श्रेणी में वर्गीकृत है। अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग की जातियां तद्नुसार श्रेणी में अनुमन्य सुविधाएं प्राप्त कर रही है। इसके अतिरिक्त विमुक्त जाति के लोग विमुक्त जातियों (डी0एन0टी0) हेतु संचालित योजनाओं में अर्हता/पात्रता के आधार पर लाभ प्राप्त कर सकते है।

7- शासनादेश संख्या-22सीएम/26-3-2013 दिनांक 10.06.2013 (संलग्नक-5) में उल्लिखित प्रदेश की कतिपय 25 विमुक्त घुमन्तू जातियों को पूर्व की भांति विमुक्त जाति प्रमाण पत्र व अनुमन्य सुविधाएं यथावत प्राप्त होती रहेंगी।

8- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली समस्त 29 विमुक्त जातियों के व्यक्तियों का भली भांति जांच पड़ताल करके नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने एवं तद्नुसार अनुमन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त। भवदीय,

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-97/2021/1898 (1)/26-3-2021,तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
4. निदेशक, समाज कल्याण/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।